the country. The National Human Rights Commission (NHRC) has repeatedly pointed to the increased number of custodial deaths taking place in the country, mainly in the States of Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra and West Bengal. The figures that the NHRC brings out do not take into account the many cases that go unreported every year due to fear of persecution.

Unfortunately, the NHRC does not have the direct authority to take action and can only make recommendations to improve the situation. More often than not, since they are not obligatory, these fall on deaf ears, with the result that policemen accused of maltreatment rarely face criminal charges, let alone any from of punishment.

The tendency of the police to take recourse to custodial violence actually inhibits the use of forensic procedures in investigation, thus enabling the guilty to often walk free because they almost always claim that their confessions were obtained through torture. It is high time that the Government empowered an independent committee, as the Supreme Court has laid out, to investigate and prosecute those accused of police atrocities, It is only through continuous monitoring of their activities that the police can be made to realise that the authority given to them to prevent crime does not give them unrestricted right to break the law themselves. I would urge the Central and State Governments to take necessary preventive and punitive steps to stop such horrid state of affairs.

Request for Implementation of the Rangarajan Committee Report on Selling Prices of Petroleum Products in the Country

डा॰ मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, पिछले कुछ माह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल की कीमतें 51 डालर प्रति बैरल तक नीचे आ गई थीं। देश में यह मांग हुई कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने के कारण पेट्रोल-डीज़ल आदि की कीमतें कम होनी जरूरी हैं, किन्तु सरकार ने तर्क दिया कि उसने सी॰ रंगराजन कमेटी का गठन किया है और उसकी रिपोर्ट 2006-07 के बजट घोषित होने से पूर्व आ जाएगी, तभी पेट्रोलियम पदार्थों के विक्रय मूल्य तय किए जाएंगे। फरवरी 2006 से पूर्व रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने इसका हवाला देकर कहा था कि इस रिपोर्ट पर विस्तृत विचार कर भावी नीति तय की जाएगी। समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर रंगराजन कमेटी में कहा

गया है कि वर्तमान विक्रय मूल्य प्रणाली को बदलना चाहिए, जोकि आयातित मूल्यों के आधार पर है। इसके साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों पर अभी निर्धारित करों को न्यायोचित बनाने के लिए इन्हें कम करना जरूरी है।

महोदय, अभी सरकार द्वारा पैट्रोल की उत्पादन लागत से कहीं अधिक कर पेट्रोल पर वसूला जा रहा है। समाचारपत्रों में प्रकाशित हो रहा है कि सरकार पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ा रही है। मेरा मत है कि रंगराजन कमेटी की सिफारिशों पर अमल करने से पूर्व विक्रय मूल्यों में वृद्धि के विषय में सोचना वायदाखिलाफी है।

अत: मेरा आग्रह है कि सरकार रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित करे तथा इस रिपोर्ट के आधार पर विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए वर्तमान पद्धति को समाप्त करे तथा करों को न्यायोचित बनाने के लिए अधिकतम कर 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने की तत्काल घोषणा करे।

Need to Protect the Ancient Temples, Ghats and Houses on the Banks of River Yamuna in Delhi in the Ongoing Demolition Drive

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): उपसभापति महोदय, राजधानी दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना किनारे बसे घाट, प्राचीन मंदिरों और झुग्गियों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। प्राधिकरण ने यहां बने सभी 32 घाटों पर रहने वाले पंडों के घरों के बाहर मकान खाली करने के नोटिस चिपका दिए हैं और इनको केवल साढ़े बारह गज जमीन देने की बात कही जा रही है।

इस दायरे में प्राचीन निगम बोध घाट, नीली छतरी वाला मंदिर, मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर, वेदांत मंदिर और गीता भवन जैसी कई ऐतिहासिक धरोहर भी आती हैं। यदि इन्हें तोड़ा गया तो यहां का ऐतिहासिक महत्व, स्मारकों और मंदिरों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। यहां पर सैकड़ों लोग रोजाना पिंडदान करने और अन्य कर्मकांड करने के लिए आते हैं। यदि घाट और पंडे ही नहीं रहेंगे तो सदियों पुरानी परम्परा का निर्वहन कैसे होगा? ये घाट, मंदिर और आवास पांडव कालीन हैं और इन घाटों के नक्शे ब्रिटिश सरकार के समय से ही स्वीकृत हैं। अत: ऐसी स्थिति में इनको हटाया जाना जनहित में उचित नहीं है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से केन्द्रीय विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि वे यमुना किनारे बने प्राचीन मंदिर, घाट और आवासों को न हटाए जाने हेतु कारगर कदम उठाएं।